कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश राज्य के
वन कार्यालयों/वनमण्डलों की कार्यप्रणाली पर
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
वर्ष 2017-18

प्राक्कथन

वन विभाग, म.प्र. शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसके आहरण एवं संवितरण अधिकारी राजस्व की प्राप्ति एवं भुगतान पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दायित्वों का उचित ढंग से निर्वहन कर सकें, इसके लिए शासन ने संहिताएँ, नियमावलियाँ एवं प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं। अतूएव वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य-प्रणाली एवं नियमों/प्रक्रियाओं के पालन में पाई गई कमियों पर, इस कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन जारी किया जाता है ।

वन विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्य-प्रणाली पर आधारित वर्ष 2017-18 का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया है। भाग-एक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रेषित लेखाओं/अभिलेखों की जाँच के दौरान पाई गई कमियां/त्रुटियाँ/ अनियमितताएं दर्शाई गई हैं एवं भाग-दो में वन कार्यालयों की लेखा परीक्षा के दौरान, इनकी कार्य- प्रणाली से संबंधित, संज्ञान में आई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं को दर्शाया गया है।

वन विभाग की कार्य-प्रणाली मे नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं आदि का अनुपालन करने में और मासिक वन लेखों की निर्धारित दिनांक तक, इस कार्यालय में प्राप्ति सुनिश्चित कराने एवं अंक मिलान कार्य को नियमानुसार एवं समय पर पूर्ण करते रहने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह समीक्षा प्रतिवेदन अनियमितताओं को दूर करने में सहायक होगा।

(रवीन्द्र पत्तार)
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) प्रथम
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

मध्य प्रदेश राज्य के वन कार्यालयों/वनमंडलों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन

मुख्य अंश

मध्य प्रदेश राज्य के वन कार्यालयों/वनमंडलों की वर्ष 2017-18 की कार्यप्रणाली पर वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के मुख्य अंश/प्रमुखताएं निम्नलिखित है:-

भाग-एक : लेखा

(1) मासिक लेखों की प्रस्तुति में विलंब।

(कंडिका 1.1)

(2) विभागीय आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय में दर्ज आंकड़ों से मिलान।

(कंडिका 1.2)

(3) मुख्य शीर्ष 8782-103 वन चैक/प्रेषण के ''समाधान पत्रक'' मासिक लेखों के साथ प्राप्त न होना।

(कंडिका 1.3)

(4) कोषालय में वन प्रेषण (मुख्य शीर्ष 8782-103-01) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में कोषालय से प्राप्त चालानों पर अंकित चालान क्रमांक तथा वन मण्डल द्वारा प्रेषित फार्म 15 में अंकित चालान क्रमांक असमान होना।

(कंडिका 1.4)

(5) वन विकास उपकर राशि का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया जाना।

(कंडिका 1.5)

(6) मासिक लेखा के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) प्रगामी आय/व्यय पत्रक (फार्म 7अ/7ब) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेनदेनों से संबंधित लेखा शीर्षों का पूर्ण विवरण अंकित न करना।

(कंडिका 1.6)

(7) वर्ष 2017-18 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत प्राप्ति हेतु अनुमान एवं प्राप्ति का लेखांकन।

(कंडिका 1.7)

(8) मासिक लेखाओं में पायी गई अन्य त्रुटियां/अनियमिततायें।

(कंडिका 1.8)

(9) विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज का लेखे में समायोजन न किया जाना।

(कंडिका 1.9)

भाग-दो- लेखापरीक्षा

(10) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्राप्त न होना।

(कंडिका 2.1.1)

(11) वर्ष 2017-18 के अंत तक वन मण्डलों द्वारा की गयी गंभीर प्रकार की अनियमितताओं के कारण आपत्ति पुस्तकों में लंबित राशि।

(कंडिका 2.1.2)

(12) हानि प्रकरणों पर संबंधित वनमण्डलों द्वारा उचित प्रभावी कार्यवाही न किया जाना।

(कंडिका 2.1.3)

(13) राजस्व प्राप्तियों की स्थानीय लेखा परीक्षा।

(कंडिका 2.2.1)

(14) उचित प्रबंधन एवं लेखा परीक्षण की आपत्तियों पर उचित ध्यान न देने से शासन को हानि।

(कंडिका 2.2.2)

भाग–एक : लेखा

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम
मध्य प्रदेश ग्वालियर

वन विभाग की कार्य-प्रणाली की वार्षिक समीक्षा वर्ष 2017-18

-: प्रस्तावना :-

वन विभाग की संरचना अनुसार **प्रधान मुख्य वन संरक्षक** विभाग प्रमुख है, जिसके अधीन वर्ष 2017-18 में भोपाल (विभाग प्रमुख कार्यालय) में स्वत्रंत इकाई के रूप में निम्नलिखित कार्यालय थे :-

1. मुख्य वन संरक्षक (विकास)
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)
3. मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
4. वन संरक्षक, राजधानी परियोजना।
5. संयुक्त, संचालक (प्रबंधन परियोजना) वानिकी भोपाल।
6. अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक मूल्यांकन अधिकारी (सामाजिक वानिकी)
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)

उक्त कार्यालयों के अतिरिक्त 16 वनवृत्त कार्यालय तथा निम्नलिखित वन कार्यालयों को आहरण एवं संवितरण अधिकार प्रदत्त थे।

1.	वनमण्डल (क्षेत्रीय)	41
2.	वनमण्डल (उत्पादन)	12
3.	वनमण्डल (सामाजिक वानिकी)	03
4.	वनमण्डल (कार्य आयोजना)	01
5.	वनवृत्त (कार्य आयोजना)	16
6.	वनवृत्त (अनुसंधान एवं विस्तार)	11
7.	वनवृत्त (वन्यप्राणी)	02
8.	राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण	12
9.	वन विद्यालय/महाविद्यालय	04
10.	मुख्य वनसंरक्षक (कार्य आयोजना)	01
	योग	103

इस प्रकार वर्ष 2017-18 में (1+7+16+103) 127 वन मण्डल कार्यरत रहे हैं।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 378/आर 847/चार/ब-1/2006 दिनांक 07.04.2006 द्वारा वन विभाग के निम्नलिखित मुख्य शीर्षों तथा इनके अन्तर्गत उद्धेश्य शीर्षो से संबंधित आहरणों को दिनांक 1 जुलाई 2006 से कोषालय के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा माह जुलाई 2006 से निम्नलिखित शीर्षान्तर्गत लेन-देन कोषालय के माध्यम से किया जा रहा है।

मुख्य शीर्ष 2406 - राजस्व व्यय

11.वेतन, भत्ते

12.मजदूरी

21.यात्रा भत्ता

22.कार्यालय व्यय

33.अनुरक्षण कार्य

35.विज्ञापन एवं प्रचार

41.छात्र वृत्तियां एवं वृत्तियां

मुख्य शीर्ष 4406- पूंजीगत व्यय

मुख्य शीर्ष 2071. पेंशन तथा सेवानिवृत्त हितलाभ

मुख्य शीर्ष 8009. सामान्य भविष्य निधि

मुख्य शीर्ष 8011. शासकीय कर्मचारी बीमा (परिवार कल्याण निधि)

इस प्रकार उक्त शीर्षान्तर्गत किये गये लेन-देनों का लेखा कोषालय लेखे के माध्यम से तथा इसके अतिरिक्त अन्य शीर्षान्तर्गत किये गये लेन-देनों का लेखा पूर्ववत् प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है।

भाग-एक : लेखा

1. कार्यालयीन प्रयास

पूर्व वर्षों में एवं वर्ष 2017-18 में वन कार्यालयों/मण्डलों द्वारा भेजे जाने वाले मासिक लेखों में पाई गई विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं/त्रुटियों, जैसे कि मासिक लेखा विलम्ब से प्रेषित करने तथा विभागीय आकड़ों का पुनर्मिलान न करने/विलम्ब से करने इत्यादि बावत्, संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/बजट नियंत्रण अधिकारियों को समय-समय पर लेख किया जाता रहा है। इसके

अतिरिक्त वन वृत्त स्तर पर पूर्व में की गई कार्यशालाओं के माध्यम से वन लेखाओं में हो रही त्रुटियों को दूर/निराकृत करने हेतु वन कार्यालयों का ध्यान आकर्षित किया गया था। यद्यपि पूर्व की अपेक्षा लेखाओं में त्रुटियां कम हुई है, तथापि अभी भी कुछ त्रुटियां पूर्ववत् की जा रही है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए समय-समय पर पत्रों द्वारा सूचित किया जाता रहा है एवं भविष्य में आवश्यकता होने पर कार्यशाला आयोजित की जाकर त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जायेगा।

1.1 मासिक लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब

वन वित्तीय नियमावली के नियम 219 के अनुसार मासिक लेखे प्रत्येक अगले माह की 12वीं तारीख तथा माह मार्च का लेखा 18वीं तारीख तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, ग्वालियर में प्राप्त हो जाना चाहिए। विलम्ब की स्थिति में वन वित्तीय नियमावली के नियम 225 के अनुसार विलम्ब के कारणों से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को सूचित किया जाना चाहिए। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी निम्नानुसार 215 विलम्बित लेखों के संबंध में कारणों सहित विलम्ब से लेखा भेजने की सूचना अप्राप्त रही तथा कार्यालय प्रधान महालेखाकार में निर्धारित तिथि तक लेखा उपलब्ध कराने में विशेष रूचि नही ली गई, जबकि इस कार्यालय द्वारा मासिक वन लेखाओं के प्राप्ति के विवरण से प्रतिमाह सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग, वन विभाग एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अवगत कराया गया। वर्ष 2017-18 में विलम्ब से प्राप्त मासिक लेखों की माह-वार स्थिति **परिशिष्ट संख्या-1** में एवं वन मण्डल-वार विवरण **परिशिष्ट संख्या-2** में प्रदर्शित है।

वर्ष 2017-18 में 1522 मासिक लेखा प्राप्त हुए जिसमें से 215 लेखे निम्नानुसार निर्धारित तिथि उपरांत प्राप्त हुए ।

विलम्ब अवधि	प्राप्त लेखों की संख्या
1 से 2 दिन	152
3 से 5 दिन	50
6 से 10 दिन	13
कुल योग	**215**

1.2 विभागीय आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार कार्यालय में दर्ज आंकड़ों से मिलान

वन वित्तीय नियमावली के नियम 235 (ब) के अनुसरण में समस्त वन वृत्तों, वन मंडलों के राजस्व एवं व्यय लेखाशीर्ष के आंकड़ों का प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में संधारित आंकड़ों से अंक-मिलान कार्य का उत्तरदायित्व वन संरक्षक का होगा । इस हेतु वे स्वयं विभागीय लेखों में दिये आंकड़ों तथा प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में संधारित आंकड़ों का समाधान कार्य कराने हेतु कार्यवाही करेंगे। माह अप्रैल से दिसम्बर तक के लेखाओं का समाधान कार्य प्रत्येक तिमाही में तथा माह जनवरी से मार्च तक प्रत्येक माह किया जाना चाहिये।

वर्ष 2017-18 में 24 वन मण्डलों द्वारा अंक-मिलान कार्य पूर्ण नहीं किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ठ संख्या-3** में दर्शाया गया है।

1.3 मुख्यशीर्ष 8782-103- वन चैक/प्रेषण के ''समाधान पत्रक'' मासिक लेखों के साथ प्राप्त न होना

प्रधान महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने वाले मासिक लेखे के साथ चैक/प्रेषण के समाधान पत्रक भेजे जाने चाहिये। इस कार्यालय द्वारा समाधान पत्रक का प्रारूप तैयार कर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) तथा वन मंडलों को भी भेजा है परन्तु अभी भी अधिकांश वन मंडलों के मासिक लेखे के साथ समाधान पत्रक प्राप्त नहीं हो रहे हैं । जिन वन मंडलों के द्वारा समाधान पत्रक भेजे भी जा रहे है, वो मासिक लेखे के साथ न भेजकर काफी विलम्ब से भेजे जारहे है तथा वह निर्धारित प्रारूप में भी नही हैं।

समाधान पत्रक मासिक लेखे के साथ प्राप्त न होकर काफी विलंब से प्राप्त होने से, असमायोजित राजस्व एवं भुगतान हेतु शेष चैकों पर पूर्ण रूप से निगरानी रखना संभव नहीं हो पाने से इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.4 कोषालय में वन प्रेषण (मु.शी. 8782-103-01) के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कोषालय से प्राप्त चालानों पर अंकित चालान क्रमांक तथा वन मंडल द्वारा प्रेषित फार्म 15 में अंकित चालान क्रमांक असमान होना

वन वित्तीय नियमावली के नियम 59 एवं 67 में वन कार्यालयों द्वारा कोषालय में प्रत्येक माह मुख्य शीर्ष 8782-103 वन प्रेषण शीर्ष के अन्तर्गत प्रेषित राशियों का मिलान कोषालय से प्राप्त समेकित

कोषालय रसीद (सी.टी.आर.) से कर, इसका समाधान पत्रक एवं सी.टी.आर. मासिक लेखे के साथ, कार्यालय प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कोषालयों एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार, दोनों ही स्तर पर लेखांकन का कार्य कम्प्यूटरीकृत होने के कारण, यह नितांत आवश्यक हो गया है कि वन मंडल अधिकारी द्वारा प्रेषित लेखे के साथ प्रेषण सूची पर अंकित चालान क्रमांक, कोषालय द्वारा प्रेषित सूची एवं संलग्न चालानों पर अंकित चालान क्रमांक क्रम में हो ताकि चालान क्रमांकों में दोहराव (रिपिटेशन) न हो, तथा कम्प्यूटर प्रणाली में वन मंडलों एवं कोषालयों के चालान क्रमांकों का आपस में मिलान हो सके। साथ ही चालानों पर वन मंडल का नाम अथवा कोड क्रमांक अंकित किया जाना चाहिये।

विगत वर्षों की वार्षिक समीक्षा में भी शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था परन्तु बार-बार लिखे जाने के उपरांत भी वन मण्डलों द्वारा उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वन प्रेषण शीर्ष में लंबित राशि का समायोजन नहीं हो पाने से ऋणात्मक शेष/अंतर की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.5 वन विकास उपकर राशि का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया जाना

पूर्व वर्षों में प्रेषित समीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा बजट प्रावधान के अनुसार संबंधित मुख्य/उप मुख्य/लघुशीर्ष आदि के अंतर्गत वन विकास उपकर से प्राप्त राशि को मुख्य शीर्ष 0406-वन राजस्व के स्थान पर 0045-वस्तुओं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 112-0236 अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत उपकरों से प्राप्तियों के अन्तर्गत लेखांकन नहीं करने की त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। यह भी लेख किया गया था कि इस त्रुटि के कारण संबंधित शीर्ष के अंतर्गत कम राशि लेखाबद्ध होने से, वनों के विकास हेतु स्थापित वन विकास निधि पर प्रतिकूल प्रभाव होता है, जिससे वनों के विकास के लिए व्यय हेतु कम राशि उपलब्ध हो पाती है।

वन विकास उपकर निधि की राशि, मुख्य शीर्ष 0406 के स्थान पर निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत की जानी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मुख्य शीर्ष - 0045 - वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क
लघु शीर्ष - 112 - अन्य अधिनियमों के अंतर्गत उपकरों से प्राप्तियां
उप शीर्ष - 0236 - वन विकास उपकर से प्राप्तियां

1.6 मासिक लेखों के साथ प्रेषित आय तथा व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) प्रगामी आय/व्यय पत्रक (फार्म-7अ/7ब) एवं अनुसूचियों/प्रमाणकों पर लेन देनों से संबंधित लेखाशीर्षो का पूर्ण विवरण अंकित न करना।

नियमानुसार विभिन्न लेन-देनों के प्रत्येक अभिलेख पर लेन देन से संबंधित लेखाशीर्ष निम्नानुसार क्रम में अंकित किए जाने चाहिए ।

प्राप्ति	भुगतान
राजस्व/प्राप्ति/आय	व्यय/भुगतान
मुख्य शीर्ष,	मांगसंख्या-आयोजना, भारित/दत्तमत
उप मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष
लघु शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष
उप शीर्ष	लघु शीर्ष
विस्तृत शीर्ष ।	समूह शीर्ष
	उप शीर्ष
	विस्तृत शीर्ष
	उप विस्तृत शीर्ष

कुछ वन कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखों के साथ संलग्न, उक्त अभिलेख की जांच करने पर यह पाया गया है कि इन पर उपरोक्तानुसार राजस्व/व्यय के लेखा शीर्ष का पूर्ण वर्गीकरण अंकित नहीं किए गए है। परिणामतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार में लेखांकन में लेन-देन के वर्गीकरण संबंधी त्रुटि हुई है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि रोकड़ लेखे में अंकित व्यय शीर्ष और वर्गीकृत सार (फॉर्म 14) में दर्शाये गये शीर्षों में भिन्नता हैं।

1.7 वर्ष 2017-18 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर्गत प्राप्ति हेतु अनुमान एवं प्राप्ति का लेखांकन

म.प्र.शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-3/33/98/10-2 दिनांक 29.12.1999 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण से संबंधित प्राप्त राशि को संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा संबंधित कोषालय में व्यक्तिगत जमा खाता के अंतर्गत जमा कराया जाना चाहिये ।

वर्ष 2016-17 की भांति ही वर्ष 2017-18 की बजट अनुमान पुस्तिका खंड-2 पृष्ठ संख्या-17 से 19 में ''मुख्य शीर्ष 0406-वानिकी और वन्य जीवन 01 वानिकी (800) अन्य प्राप्तियाँ-0237 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये अन्य विभागों से प्राप्तियाँ'' की राशि 16,20 हजार का बजट अनुमान किया

गया। कार्यालयों से प्राप्त मासिक लेखों के आधार पर इस कार्यालय में संधारित अभिलेख में राशि 1,19,34,357 की प्राप्ति दर्ज की गई।

विभाग के उक्त आदेशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत किया गया बजट अनुमान एवं विभिन्न वन मंडलों द्वारा उक्त राजस्व शीर्षान्तर्गत राशियाँ दर्ज की जाना विभागीय आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

1.8 मासिक लेखाओं में पायी गयी अन्य त्रुटियां/अनियमितताएं

मासिक लेखाओं में निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पाई गई :-

(1) वन वित्तीय नियमावली 226 एव लेखा संहिता भाग-तीन के अनुसार अनुसूचियां निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर न भेजना ।

(2) रोकड़ लेखा के प्राप्ति तथा भुगतान पक्ष के योग की राशि समान न होना।

(3) आय/व्यय के वर्गीकृत सार (फार्म-14) का योग रोकड़ लेखा में दर्ज आय/व्यय की राशि से मिलान न होना ।

(4) आय/व्यय के प्रगामी अंको के पत्रक (फार्म-7अ/ब) का योग वर्गीकृत सार (फार्म-14) के योग से मिलान न होना ।

(5) अनुसूचियों में उल्लेखित राशियो के योग में त्रुटि होना ।

(6) रोकड़ लेखा में लेखा शीर्ष के कोड क्रमांक व नामावली त्रुटिपूर्ण अंकित करना।

(7) रोकड़ लेखा (प्रपत्र एफ.ए.-1) पर आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा वन मण्डल/वन वृत्त का कोड अंकित नहीं करना।

(8) जी.एस.टी से संम्बंधित प्राप्तियों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया जाना।

1.9 विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज का लेखे में समायोजन न किया जाना

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2007 से 2010 की कंडिका क्रमांक 1.6 एवं 1.7 के माध्यम से विभाग के सभी कार्यालयों में कार्यरत समूह ''घ'' कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि खातों में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज की गणना कर देय ब्याज की राशि उक्त कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट करने तथा मुख्य लेखा शीर्ष 2049-ब्याज संदाय,03-अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि पर ब्याज, 104-राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज, 4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज को डेबिट करने हेतु प्रस्ताव, विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, म.प्र. ग्वालियर को प्रेषित करने का लेख

किया गया था ताकि विभागीय भविष्य निधि में जमा राशियों पर देय ब्याज का समायोजन संबंधित वित्तीय वर्ष के लेखे में किया जा सके।

वर्ष 2017-18 के लिये कुल 127 वन कार्यालयों में से मात्र 04 कार्यालयों से राशि 4,87,187 के अंतरण प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनका समायोजन अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लेखे में किया गया। **परिशिष्ट संख्या "4"** में वर्णित 04 कार्यालयों को छोड़कर, शेष कार्यालयों से ब्याज पत्रक प्राप्त नहीं हुये। अपेक्षा की जाती है कि इस समायोजन हेतु प्रतिवर्ष प्रस्ताव आवश्यक रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश ग्वालियर को प्रेषित किये जायेंगे ताकि कर्मचारियों के विभागीय भविष्य निधि पर दिये गये ब्याज को मध्यप्रदेश शासन के ब्याज के भुगतान लेखा शीर्ष 2049 को डेबिट किया जा सकें।

शासन के ध्यान में उक्त त्रुटियां/अनियमितताएं लाते हुए भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति पर रोक लगाने हेतु समुचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है।

भाग–दो : लेखा परीक्षा

भाग–दो : लेखा परीक्षा

2.1 व्यय का स्थानीय लेखा परीक्षण :–

2.1.1 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्राप्त न होना

वर्ष 2017–18 में 66 वनमण्डलों के व्यय की लेखा परीक्षा कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) म.प्र. के दल द्वारा की गयी। उक्त 66 वनमण्डलों के निरीक्षण प्रतिवेदन में 380 कंडिका निर्मित हुई जिसमें से किसी भी वन मण्डल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के 5 सप्ताह में प्राप्त हो जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में किये गये लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति में भी विशेष प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2017–18 के 69 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 399 कंडिकाएं लंबित है। विवरण **परिशिष्ट संख्या ''05''** पर प्रदर्शित है।

2.1.2 वर्ष 2017–18 के अंत तक वनमण्डलों द्वारा की गयी गंभीर प्रकार की अनियमितताओं के कारण आपत्ति पुस्तकों में लंबित राशि

वर्ष 2017–18 में विभिन्न वन कार्यालयों द्वारा किये गये आपत्तिजनक व्यय के कारण **737** प्रकरणों की राशि रू0 430.09 करोड़ निराकरण हेतु लंबित है विवरण **परिशिष्ट संख्या ''06''** पर प्रदर्शित है।

2.1.3 हानि प्रकरणों पर संबंधित वनमण्डलों द्वारा उचित प्रभावी कार्यवाही न किया जाना

मध्य प्रदेश सामान्य वित्तीय संहिता खण्ड–। के नियम 22 एवं 24 के अनुसार हानि के प्रकरण ध्यान में आते ही, उनके संबंध में की गयी कार्यवाही से कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश, शाखा ग्वालियर को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। वर्ष 1975–76 से 2017–18 के अंत तक राशि 15.99 करोड़ के 2721 हानि प्रकरण लंबित है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट संख्या ''07''** पर प्रदर्शित हैं।

2.2 राजस्व प्राप्तियों की स्थानीय लेखा परीक्षा

2.2.1 महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) लेखा परीक्षा के दल द्वारा वर्ष 2017–18 में वनमण्डलों की राजस्व प्राप्तियों का लेखा परीक्षण किया गया, एवं पाई गई आपत्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभाग को अवगत कराया गया।

वर्ष 2017–18 के अंत तक लेखा परीक्षा से संबंधित 690 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अंतर्गत 3365 कण्डिकाओं की राशि रू0 2,66,908.01 लाख का निराकरण लंबित है जिसका वर्षवार विवरण

परिशिष्ट संख्या ''05'' में दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा आडिट आपत्तियों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है।

2.2.2 उचित प्रबंधन एवं लेखा परीक्षण की आपत्तियों पर उचित ध्यान न देने से शासन को हानि

वर्ष 2017-18 में विभिन्न वनमण्डलों के राजस्व लेखा परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि, वनमण्डलों द्वारा उचित प्रबंधन एवं सावधानी न रखने के फलस्वरूप जैसे - वनोपज निपटान हेतु समुचित प्रबंध न किया जाना, वनोपज की कमी पर ध्यान न देना, लकड़ी के अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन के अंतर पर ध्यान न देना एवं विक्रय कर की प्राप्तियों को अनावश्यक रोकना इत्यादि, कारणों से शासन को करोड़ो रूपये की हानि हुई है। राजस्व निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से इस हानि को कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लाया गया है ।

अतः शासन से अपेक्षा है कि लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा दल द्वारा ध्यान में लाई गयी आपत्तियों एवं हानि प्रकरणों के संबंध में, संबंधित विभागों को तुरंत कार्यवाही करने एवं जानकारी कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) मध्य प्रदेश, शाखा ग्वालियर कार्यालय को तुरंत भिजवाने हेतु निर्देशित किया जावे।

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या-1
(सन्दर्भ कंडिका 1.1)
वर्ष 2017-18 में विलंब से प्राप्त मासिक लेखों की स्थिति

माह	कुल लेखे	निर्धारित तिथि तक प्राप्त लेखे	विलंब से प्राप्त लेखे
4/2017	126	109	17
5/2017	126	102	24
6/2017	127	104	23
7/2017	127	92	35
8/2017	127	112	15
9/2017	127	110	17
10/2017	127	113	14
11/2017	127	108	19
12/2017	127	117	10
01/2018	127	112	15
02/2018	127	111	16
03/2018	127	117	10
योग	**1522**	**1307**	**215**

परिशिष्ट - संख्या-2
(संदर्भ कंडिका 1.1)
तीन या तीन से अधिक माह के विलम्ब से प्राप्त हुए मासिक लेखों का विवरण पत्रक

स.क्र.	कोड संख्या	कार्यालय का नाम	माह जिसमें लेखें विलम्ब से प्राप्त हुये	कुल माह
1.	180	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) शहडोल	05/2017, 06/2017, 08/2017,11/2017,02/2018	5
2.	331	वन संरक्षक कार्य आयोजना, रीवा	05/2017,07/2017,08/2017, 10/2017, 02/2018	5
3.	166	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सतना	04/2017, 05/2017, 07/2017, 11/2017, 01/2018, 02/2018	6
4.	313	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) होंशगाबाद	05/2017, 07/2017, 01/2018, 03/2018,	4
5.	318	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) वृत्त, रतलाम	04/2017,06/2017, 07/2017	3
6.	194	संचालक संजय राष्ट्रीय उद्यान, सीधी	04/2017, 07/2017, 09/2017, 11/2017	4
7.	339	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) वृत्त, रीवा	04/2017,05/2017,06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017,10/2017, 11/2017,12/2017,01/2018,	10
8.	303	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन), मण्डला	04/2017, 06/2017, 07/2017, 11/2017	4
9.	001	प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, भोपाल	04/2017,07/2017,09/2017, 2/2018	4
10.	193	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) सिगंरौली	04/2017,05/2017,06/2017, 07/2017,08/2017,09/2017, 10/2017,12/2017,02/2018	9
11.	314	वन सरंक्षक (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	04/2017,07/2017,11/2017, 01/2018	4
12.	199	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) भोपाल	04/2017,06/2017,07/2017	3
13.	055	वनमंडलाधिकारी, धार	04/2017,08/2017,09/2017, 12/2017,01/2018,03/2018	6
14.	065	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) होशगांबाद	04/2017,07/2017,08/2017, 11/2017,02/2018,03/2018	6
15.	069	उप संचालक सतपुडा टाइगर रिजर्व, पंचमढी	04/2017,02/2018,03/2018	3

16.	282	वनमंडलाधिकारी, भिण्ड	04/2017,05/2017,07/2017, 12/2017,03/2018	5
17.	124	संचालक राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना	05/2017,07/2017,09/2017, 01/2018	4
18.	333	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) इन्दौर	05/2017,06/2017,10/2017	3
19.	120	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) नरसिंहपुर	05/2017,06/2017,07/2017, 08/2017,12/2017,02/2018	6
20.	045	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण, छिंदवाडा	05/2017,06/2017,07/2017, 10/2017,11/2017	5
21.	041	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) पूर्व छिंदवाडा	05/2017,10/2017,11/2017, 02/2018,03/2018	5
22.	179	वनमंडलाधिकारी दक्षिण, शहडोल	06/2017,07/2017,09/2017	3
23.	322	वनमंडलाधिकारी, अनुपपुर	06/2017,12/2017,01/2018, 02/2018	4
24.	040	वन संरक्षक राजधानी परियोजना, भोपाल	06/2017,10/2017,11/2017	3
24.	080	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुल्यांकन अधिकारी सामाजिक वानिकी, भोपाल	06/2017,07/2017,08/2017	3
25.	197	वनमंडलाधिकारी (सामाजिक वानिकी) राजगढ	06/2017,08/2017,12/2017, 02/2018,03/2018	5
26.	139	वनमंडलाधिकारी सामान्य, रतलाम	07/2017,09/2017,10/2017, 11/2017,01/2018	5
27.	190	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) शिवपुरी	07/2017,11/2017,01/2018	3
28.	023	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) पश्चिम बैतुल	07/2017,09/2017,01/2018, 03/2018	4
29.	048	वनमंडलाधिकारी, दमोह	08/2017,11/2017,01/2018	3
30.	010	मुख्य वन संरक्षक विकास, भोपाल	08/2017,09/2017,10/2017	3
31.	183	वनमंडलाधिकारी (सामान्य) उमरिया	09/2017,10/2017,11/2017	3

परिशिष्ट संख्या-3

(संदर्भ कंडिका 1.2)

वर्ष 2017-18 में वनमंडलों द्वारा जिन माहों का अंक-मिलान नहीं किया गया, की सूची निम्नलिखित है-

स.क्र.	कोड संख्या	वन मण्डल	माह जिसका अंक-मिलान नहीं किया गया
1.	324	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) छत्तरपुर	01/2018 से 03/2018 तक
2.	180	वन मण्डलाधिकारी (उत्तर) शहडोल	02/2018 से 03/2018 तक
3.	185	संचालक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया	04/2017 से 03/2018 तक
4.	060	संयुक्त संचालक (एम.पी.) वानिकी भोपाल	08/2017 से 03/2018 तक
5.	339	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) रीवा	03/2018
6.	323	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) उज्जैन	04/2017 से 03/2018 तक
7.	169	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) सीहोर	02/2018 से 03/2018 तक
8.	314	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) भोपाल	04/2017 से 03/2018 तक
9.	340	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) भोपाल	04/2017 से 03/2018 तक
10.	360	राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल	04/2017 से 03/2018 तक
11.	347	वन मण्डलाधिकारी (उत्पादन) सिवनी	04/2017 से 03/2018 तक
12.	177	संचालक पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी	03/2018
13.	287	उपवन संरक्षक (पर्यावरण विकास) पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी	03/2018
14.	317	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) सिवनी	10/2017 से 03/2018 तक
15.	190	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) शिवपुरी	01/2018 से 03/2018 तक
16.	191	संचालक वन विधालय शिवपुरी	03/2018
17.	045	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) दक्षिण छिन्दवाड़ा	04/2017 से 03/2018 तक
18.	023	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) पश्चिम बैतूल	11/2017 से 03/2018 तक
19.	028	संचालक वन विधालय बैतूल	11/2017 से 03/2018 तक
20.	344	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) बैतूल	01/2018 से 03/2018 तक
21.	072	वन संरक्षक (अनुसंधान/विस्तार) जबलपुर	01/2018 से 03/2018 तक
22.	109	वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) मण्डला	02/2018 से 03/2018 तक
23.	329	वन संरक्षक (कार्य आयोजना) जबलपुर	03/2018
24.	061	वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सिंह परियोजना ग्वालियर	01/2018 से 03/2018 तक

परिशिष्ट संख्या–4
(संदर्भ कंडिका 1.9)

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज की राशि का शासकीय लेखे में समायोजन कराने हेतु विवरण भेजने वाले वन कार्यालयों की सूची

स.क्र.	वन कार्यालय का नाम	विभागीय भविष्य निधि पर देय ब्याज की राशि
1.	मुख्य वनसंरक्षक खण्डवा (म.प्र.)	25,191
2.	वन मण्डलाधिकारी उत्पादन मण्डला (म.प्र.)	62,123
3.	वन मण्डलाधिकारी उत्पादन हरदा (म.प्र.)	53,810
4.	संचालक पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना (म.प्र.)	3,46,063
	योग	**4,87,187**

परिशिष्ट संख्या–5
(संदर्भ कंडिका 2.1.1 एवं 2.2.1)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कण्डिकाओं का वर्षवार विवरण 2017–18 तक
मासिक बकाया प्रतिवेदन 03/2018
संवरण के समय छः माह से पुराने बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकायें

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका	राशि (लाख में)
2010-11	166	287	22485.28
2011-12	50	263	1233.09
2012-13	110	709	59095.78
2013-14	72	357	14773.76
2014-15	81	451	39682.18
2015-16	69	477	28250.46
2016-17	73	422	49102.43
2017-18	69	399	52285.03
योग	**690**	**3365**	**266908.01**

परिशिष्ठ संख्या-6

(संदर्भ कंडिका 2.1.2)

वर्ष 2017-18 तक लंबित आपत्तिगत मदों का ब्यौरा

स.क्रं.	आपत्ति का कारण	आपत्तिगत की संख्या	आपत्तियों में निहित राशि
1.	स्वीकृति का प्राप्त न होना	56	17,15,46,600
2.	भुगतान प्राप्तकर्ता की प्राप्ति रसीद का न होना	52	7,60,26,096
3.	अनियमित भुगतान के संबंध में	113	1,26,67,31,339
4.	शासकीय कर्मचारियों को दिये गये अग्रिमों की लंबित राशि	05	11,843
5.	प्रमाणकों में अनियमितताओं के संबंध में	344	1,48,84,21,165
6.	अन्य कारणों से अमान्य की गई राशि	167	1,29,81,40,147
	योग	**737**	**4,30,08,77,190**

परिशिष्ट संख्या-7
(संदर्भ कंडिका 2.1.3)
वर्ष 2017-18 के अंत तक लंबित हानि प्रकरणों का विवरण पत्रक

वर्ष	राशि	प्रकरणों की संख्या	निराकृत राशि	निराकृत प्रकरणों की संख्या	शेष राशि	प्रकरणों की संख्या
1975-1976	1050684	115	0	0	1050684	115
1976-1977	134119	13	0	0	134119	13
1977-1978	275947	12	0	0	275947	12
1978-1979	462121	30	0	0	462121	30
1979-1980	514482	31	0	0	514482	31
1980-1981	813452	66	0	0	813452	66
1981-1982	229056	22	675	1	228381	21
1982-1983	117265	10	0	0	117265	10
1983-1984	272284	26	0	0	272284	26
1984-1985	523990	15	0	0	523990	15
1985-1986	2226909	69	101805	5	2125104	64
1986-1987	1573019	57	13650	1	1559369	56
1987-1988	4261323	160	0	0	4261323	160
1988-1989	1854292	147	146	1	1854146	146
1989-1990	1511438	115	30567	2	1480871	113
1990-1991	3392845	101	38664	2	3354181	99
1991-1992	2785792	97	181227	16	2604565	81
1992-1993	4563218	69	0	0	4563218	69
1993-1994	1269499	55	0	0	1269499	55
1994-1995	1996696	69	10098	1	1986598	68
1995-1996	2629544	67	16466	1	2613078	66
1996-1997	2225718	36	0	0	2225718	36
1997-1998	8879572	110	0	0	8879572	110
1998-1999	14130331	100	7084	2	14123247	98
1999-2000	6129262	61	6490	3	6122772	58
2000-2001	2880877	54	3346	2	2877531	52
2001-2002	1726789	40	73778	2	1653011	38
2002-2003	5768056	43	2003	1	5766053	42
2003-2004	2494669	33	2200	1	2492469	32
2004-2005	1809066	27	11446	1	1797620	26
2005-2006	6618264	50	167839	7	6450425	43
2006-2007	6302874	42	87649	2	6215225	40
2007-2008	2291700	20	61787	1	2229913	19
2008-2009	1737139	17	13923	2	1723216	15
2009-2010	29195161	21	44280	3	29150881	18
2010-2011	717530	21	118713	9	598817	12
2011-2012	1078874	25	59586	3	1019288	22
2012-2013	9845827	107	34658	6	9811169	101
2013-2014	3996313	70	652987	12	3343326	58

2014-2016	3088500	43	48232	2	3040268	41
2016-2016	9493787	166	27889	9	9465898	157
2016-2017	6639270	185	227203	58	6412067	127
2017-2018	3235689	453	756771	193	2478918	260
Total	**162743243**	**3070**	**2801162**	**349**	**159942081**	**2721**